



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
आई.एस.ओ. 9001:2015 द्वारा प्रमाणित
Certified with ISO 9001:2015



75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

क्षेत्रीय कार्यालय (दिल्ली) / Regional Office (Delhi)
तृतीय एवं चतुर्थ तल, राजेंद्र भवन, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008
3rd and 4th Floor, Rajendra Bhawan
Rajendra Place, New Delhi - 110008
Phone: 011-25734381, 25745044 Email: rd-delhi@esic.nic.in
Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

फाइल स. / F.No. 111-A-12/16/01/MTS/2025/ADMN-II

Date: 07-08-2025

कार्यालय आदेश संख्या/Office Order no. 212 of 2025 (प्रशासन-II/ADMIN-II)

सक्षम प्राधिकारी ने निम्नलिखित कर्मचारियों को बहु कार्य-कार्मिक (एमटीएस) के पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति/कार्यभार ग्रहण करने की मंजूरी दी है, जो निम्नानुसार है:

The Competent Authority has approved the appointment/joining of the following officials to the post of **MULTI TASKING-STAFF (MTS)** on regular basis with effect from the date given as under: -

क्रमांक / Sl. No.	अभ्यर्थी का नाम (श्री/कु./श्रीमती) Name of the Candidate (Sh./Km./Smt.)	कर्मचारी पहचान संख्या / Emp. ID no.	पिता का नाम (श्री) Father's Name (Sh.)	जन्म तिथि / Date of Birth (DD- MM-YY)	श्रेणी/चयनित श्रेणी / Category/Category Select Against	शैक्षणिक योग्यता / Education Qualification	नियुक्ति तिथि / Date of Joining	पदस्थापना स्थान /तैनाती स्थल Place of Posting
1	अजय शर्मा / AJAY SHARMA	193142	मनमोहन शर्मा / MANMOHAN SHARMA	04.05.2001	EWS/EWS	10th, 12th, B.Sc	02.06.2025	क.रा.बी.निगम रोहिणी डेंटल कॉलेज ESIC Rohini Dental College
2	शशांक शेखर / SHASHANK SHEKHAR	193058	राकेश सिंह /RAKESH SINGH	07.05.2001	UR/UR	10th, 12th, B.Tech (C.S)	09.06.2025	ESIH झिलमिल / Jhilmil
3	राहुल कुमार / RAHUL KUMAR	193173	परदीप कुमार / PARDEEP KUMAR	26.12.1994	UR-OH/UR-OH	10th, 12th	27.06.2025	क.रा.बी.निगम अस्पताल रोहिणी ESICH Rohini
4	हितेश कुमावत / JITENDRA KUMAR	193262	विश्वनाथ /VISHWANATH	03.09.2001	SC-VH/SC	10th, 12th, B.A (Hons.)	27.06.2025	डी(एम)डी / D(M)D

5	शुभम कुमार / SHUBHAM KUMAR	193167	संतोष प्रसाद / SANTOSH PRASAD	12.06.2006	EWS/UR	10th, 12th	28.06.2025	क.रा.बी.निगम अस्पताल ओखला ESICH OKHLA
6	परविंद / PARVIND	193261	राम प्रसाद / RAM PRASAD	25.04.1990	UR-VH/UR	10th, 12th, B.A	01.07.2025	ESID द्वारका / DWARKA
7	इदरिश अहमद / IDRISH AHMED	193267	जमिल अहमद / JAMIL AHMED	02.01.2002	OBC-VH/OBC-VH	10th, 12th, B.A(Hons.)	16.07.2025	ESID वज़ीरपुर / WAZIRPUR

इसके अलावा, **बहु कार्य-कार्मिक** के रूप में उनकी नियुक्ति पर उपर्युक्त कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित कार्यग्रहण की तिथि से कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस.आई.सी.) में देय सामान्य भत्तों के अतिरिक्त सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (रु. 18000-56900/-) में संशोधित वेतन मिलेगा, जो पूर्व-संशोधित वेतन बैंड-1 (रु. 5200-20200/-) तथा ग्रेड पे रु. 1800/- के अनुरूप है।

Further, the above official on their appointment as **MTS** will draw the revised pay Level -1 (Rs. 18000- 56900/-) of Pay Matrix as per 7th Central Pay Commission (pre-revised Pay band-I of Rs. 5200-20200/- with Grade Pay of Rs. 1800/-) plus usual allowance as admissible in the ESIC w.e.f. the date of joining appeared against their names.

उपर्युक्त कर्मचारियों की नियुक्ति वर्तमान में अस्थायी आधार पर की गई है और पद पर स्थायीकरण परीक्षा अवधि यानी नियुक्ति की तारीख से 02 वर्ष की संतोषजनक समाप्ति के अधीन होगी और वे समय-समय पर संशोधित क.रा.बी. निगम (कर्मचारी और सेवा की शर्तें) विनियम 2023 और उन्हें जारी नियुक्ति के प्रस्ताव में निर्धारित अन्य निबंधन और शर्तों द्वारा शासित होंगे।

The appointment of officials as above have been made on temporary basis for the present and confirmation in the post is subject to the satisfactory completion of the period of probation i.e. 02 years from the date of appointment and they will be governed by ESI Corporation (Staff and Conditions of Service) Regulation 2023, as amended from time to time and other terms and conditions laid down in the Offer of Appointment issued to them.

उपर्युक्त कर्मचारी क.रा.बी. निगम द्वारा समय-समय पर संशोधित और विधिवत तैयार की गई अंतरक्षेत्रीय स्थानांतरण नीति के अनुसार किसी अन्य राज्य/क्षेत्र में स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

The above officials can seek/apply for transfer to the other state /region as per the IRT Policy duly framed and as amended from time to time by ESI Corporation.

उपर्युक्त कर्मचारियों की सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वास्थ्य जांच कराई गई तथा उन्हें कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अधीन सेवा के लिए उपयुक्त पाया गया है।

The above officials **have** been medically examined by the competent authority and found fit for service under Employees' State Insurance Corporation.

उनकी नियुक्ति अनंतिम है तथा यह चरित्र एवं पूर्ववृत्त, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य जानकारी की विधिवत सत्यापन के अधीन है। यदि सत्यापन के दौरान यह पाया जाता है कि कर्मचारी द्वारा दी गई जानकारी/प्रमाण पत्र असत्य हैं तो बिना कोई कारण बताए उनकी सेवा तत्काल से समाप्त कर दी जाएगी तथा गलत सूचना देने के लिए भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत झूठी जानकारी देने के लिए जो भी विधिक कार्यवाही संभव हो वह भी की जा सकेगी।

Their appointment is provisional and is subject to the verification of the Character & subject to the verification of the Character & Antecedents, educational qualification, caste certificates and other information being verified through the proper channels and if the verification reveals that the information/ certificates provided by the official is false, the service will be terminated forthwith without assigning any further reasons and without prejudice to such action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code for production of false information.

यदि उनके धर्म में कोई परिवर्तन होता है तो उसकी जानकारी संबंधित नियुक्ति/प्रशासनिक प्राधिकारी को तत्काल देनी होगी। नियुक्ति पत्र के माध्यम से उन्हें जो अन्य सभी निबंधन और शर्तें सूचित किए गए हैं वे सभी यथावत् लागू रहेंगे।

They should also inform about the change, if any, of his religion to his appointing / administrative authorities immediately after such a change. All other terms & conditions of appointment as communicated to them vide offer of appointment shall remain the same.

वे वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ.सं. 1(7)(2)2003/टीए दिनांक 07.01.2004 में निहित परिभाषित अंशदायी पेंशन प्रणाली के अंतर्गत व्याप्त होंगे।

They will be covered under the defined Contributory Pension System as contained in Ministry of Finance, Department of Expenditure Office Memorandum No. F.No. 1(7)(2)2003/TA dated 07.01.2004.

(RAJSHEKHAR SINGH)
DEPUTY DIRECTOR

प्रतिलिपि / Copy to: -

1. संबंधित अधिकारी अपने तात्कालिक/वर्तमान नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से / The official concerned through his/ her immediate/ present Controlling Officer

2. निदेशक, स्थापना शाखा-V, क.रा.बी. निगम मुख्यालय, पंचदीप भवन, सीआईजी मार्ग, नई दिल्ली-110002 / The Director, Establishment Branch-V, ESIC HQRS, Panchdeep Bhawan, CIG Marg, New Delhi-110002.
3. संबंधित इकाई के डीन/निदेशक/चिकित्सा अधीक्षक/ बीमा चिकित्सा अधिकारी (आईएमओ) प्रभारी / The Dean/Director/Medical Superintendent/IMO In-charge of the concerned unit.
4. डी(एम)डी के पी.पी.एस. / P.P.S. to D(M)D.
5. सहायक निदेशक/उप निदेशक, ई-आई(एम)/ई-II(एम)/रोकड़ शाखा -I/ रोकड़ शाखा -I /लेखा-I/II/III/IV, डी(एम)डी कार्यालय, दिल्ली / Asstt. Director/Dy. Director, E-I(M)/E-II(M)/Cash Branch-I/Cash Branch-I/Accounts-I/II/III/IV, D(M)D Office, Delhi.
6. सेवा पुस्तिका लिपिक, प्रशासन-II, क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली / Service Book Clerk, Admn.-II, Regional Office, Delhi.
7. संबंधित व्यक्ति की व्यक्तिगत फाइल / Personal file of individual concerned.
8. आईसीटी-दिल्ली/ओएसडी-आईटी सेल, वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ / ICT-Delhi/OSD-IT Cell, with request to upload on website.
9. अतिरिक्त प्रति के साथ गार्ड फाइल। / Guard File with spare copy.